फतेहगढ़ पुलिस

प्रेस नोट – थाना नवाबगंज

दिनांक :- 03.10.2024

थाना नवाबगंज पर पंजीकृत मु0अ0सं-231/2024 धारा - 193(1)/115(2)/132/125/241/61(2)/109 BNS मे वांछित 12 अभियुक्तो को किया गया गिरफ्तार।

श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक कानपुर जोन कानपुर **श्री आलोक सिंह** के निर्देशन, श्रीमान पुलिस महानिरीक्षक कानपुर रेंज कानपुर **श्री जोगेन्द्र कुमार** के कुशल पर्यवेक्षण, श्रीमान पुलिस अधीक्षक फतेहगढ़ **श्री आलोक प्रियदर्शी** के मार्गदर्शन, श्रीमान अपर पुलिस अधीक्षक **श्री डा0 संजय सिंह** व क्षेत्राधिकारी मोहम्मदाबाद श्री अरुण कुमार के नेतृत्व में अपराध एंव अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना नवाबगंज पुलिस द्वारा थाना पर पंजीकृत मु0अ0सं0 231/2024 धारा -193(1)/115(2)/132/125/241/61(2)/109 बीएनएस मे वाछित 12 अभियुक्तो को गिरफ्तार कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पताः-

1.राजीव उर्फ राजेश यादव पुत्र कश्मीर सिंह उम्री 52 वर्ष निवासी ग्राम उखरा थाना नवाबगंज जनपद फतेहगढ़।

2.राहुल उर्फ आयुष पुत्र राजेश उर्फ राजीव कुमार उम्र करीब 31 वर्ष नि- उपरोक्त
3.संजेश यादव उर्फ संजू पुत्र रामप्रकाश उम्री 35 वर्ष निवासी नि0 उपरोक्त
4. हाकिम सिंह पुत्र ब्रजपाल सिंह उम्री 26 वर्ष निवासी उपरोक्त
5. रजनेश उर्फ रतनेश पुत्र द्रगपाल उम्री 28 वर्ष निवासी - उपरोक्त
6. नन्हे उर्फ अनुज पुत्र रामौतार सिंह उम्री 21 वर्ष निवासी उपरोक्त
7..राम रहीश पुत्र मसाल सिंह उम्री 60 वर्ष निवासी - उपरोक्त
8. केशराम पुत्र वेदराम उम्री 60 वर्ष निवासी ग्राम - उपरोक्त
9. . ब्रह्मकिशोर पुत्र फूल सिंह उम्री 35 वर्ष निवासी उपरोक्त
10. आशीष कुमार पुत्र जगदीश उम्र करीब 25 वर्ष उपरोक्त
11 अंकुल पुत्र प्रेमसिंह उम्र करीब 23 वर्ष निवासी उपरोक्त
12. सुबोध उर्फ आशीष पुत्र ब्रह्मानन्द उम्र करीब 20 वर्ष निवासी - उपरोक्त

13. 04 महिला अभियुक्तगण

घटना का संक्षिप्त विवरणः

दिनांक 30.09.2024 को लेखपाल श्री रुद्र प्रताप सिह पुत्र राम प्रकाश निवासी ग्राम अजमतपुर थाना मऊदरवाजा जिला फर्रुखाबाद द्वारा थाना नवाबगंज पर अभियुक्तगणो द्वारा एक राय होकर षडयन्त्र कर भीड को उकसाते हुए , लाठी डन्डो व ईट पत्थरो से जान से मारने की नियत से वादी तथा लेखपाल सौरभ पाण्डेय पर हमला कर देना तथा मारपीट करना एव सरकारी कार्य मे बाधा उत्पन्न कर सरकारी दस्तावेजो को फाड देने के सम्बन्ध मे एक प्रार्थना पत्र दिया गया। उक्त प्रार्थान के आधार पर थाना नवाबगंज पर तत्काल मु0अ0स0 231/2024 धारा –193(1) / 115(2) / 132/ 125 / 241 / 61(2) / 109 B.N.S बनाम 1.संजेश यादव उर्फ संजू पुत्र राम प्रकाश निवासी उखरा थाना नवाबगंज जिला फर्रुखाबाद आदि 30 नफर व कुछ व्यक्ति अज्ञात के विरुद्ध पंजीकृत किया गया। जिसके क्रम मे दिनांक 03.10.2024 को मुखबिर खास की सूचना पर अभियोग मे नामित 12 अभियुक्तगण को गिरफ्तार कर विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

पूछताछ विवरण अभियुक्तगण उपरोक्तः-

सभी अभियुक्तगणों द्वारा बताया गया कि ग्राम उखरा में दिनांक 28.09.2024 को प्रशासन द्वारा किये गये मकानो के ध्वस्तीकरण के कारण दिनांक 30.09.2024 को हम लोग व हमारे साथियो द्वारा गांव उखरा आई प्रशासन की टीम पर एक राय होकर जान से मारने की नियत से लेखपाल रुद्रप्रताप , सौरभ पाण्डेय आदि पर हमला किया था । अब जो हमे सफाई देनी है वह अपने वकील के माध्यम से अदालत मे देगें । आपसे और कुछ नही कहना है ।

आपराधिक इतिहास अभियुक्तगणो का अपराधिक इतिहास निम्नवत् है ।

1.मु0अ0सं0 231/2024 धारा -193(1)/115(2)/132/125/241/61(2)/109 बीएनएस थाना नवाबगंज जनपद फतेहगढ़

गिरफ्तार करने वाली थाना नवाबगंज पुलिसः

1. थानाध्यक्ष श्री बलराज भाटी
2. वरि. उ0नि0 राम सिंह
3. उ0नि0 इन्द्रजीत सिंह
4. उ0नि0 हेमन्त कुमार

5. उ0नि0 श्री गिरिश कुमार	6. उ0नि0 योगेश कुमार
7. हे0का0HC- कमलेश यादव	8.का0 जयकिशोर
9. का0 किरन कुमार	10.हे0का0 नन्द लाल
11. म0का0 देवकी	12. म0का0 पिंकी
13. हे0का0 विनय कुमार	14. हे0का0 सतेन्द्र
15. हे0का0 सुशील कुमार	16. का0- अरविन्द कुमार
17.का0 अक्षय कुमार	18.का0 आदेश कुमार

मीडिया सेल फतेहगढ़

फतेहगढ़ पुलिस

UTTAR PRADESH 112 EMERGENCY

राष्ट्रीय तम्बाकू निषेध अभियान के सम्बन्ध में समस्त नागरिकों से अपील

- सभी तम्बाकू उत्पाद (जैसे सिगरेट, बीड़ी, गुटखा, जर्दा, खैनी, हुक्का व पानमसाला आदि) हानिकारक है। इसके सेवन से बचें।
- कोई भी तम्बाकू उत्पाद किसी भी मात्रा में सुरक्षित नहीं है।
- तम्बाकू के सेवन से न केवल कैंसर जैसी घातक बीमारी होती है बल्कि हृदयरोग,मधुमेह, टीवी, लकवा, दृष्टिविहीनता तथा फेफड़ो सें सम्बन्धित कई घातक रोग हो जाते है।
- तम्बाकू के प्रयोग से स्वास्थ्य पर हानिकारक प्रभाव के साथ-साथ परिवार की आर्थिक/सामाजिक स्थिति पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ता है।
- तम्बाकू का सेवन करने वालो को इसके सेवन से शरीर पर पड़ने वाले बुरे प्रभावों के बारे में जागरुक किया जाना चाहियें।
- युवाओ और खिलाड़ियों को तम्बाकू/धुम्रपान के सेवन से बचना चाहिए क्योंकि इसके सेवन से खेलकूद संबधी क्रियाकलापों पर कुप्रभाव पड़ता है।
- अभिभावको द्वारा अपने बच्चों को तम्बाकू से होने वाले दुष्प्रभावों के बारें में जागरुक किया जाना चाहिए जिससे वे भविष्य में इसके सेवन से बचे रहे।
- शैक्षणिक संस्थानों के आसपास(100 गज) की परिधी में तम्बाकू व तम्बाकू से निर्मित उत्पादों को बेचना दण्डनीय अपराध हैं, जिसमें अर्थदण्ड अथवा कारावास का प्रावधान है।

STOP SMOKING

- सार्वजनिक स्थानों (जैसे- सभागृह, अस्पताल, बस/रेलवे स्टेशन, शासकीय कार्यालयों, न्यायालय परिसर आदि) व अन्य कार्यस्थलों पर धुम्रपान करना दण्डनीय अपराध है। जिसमें अर्थदण्ड अथवा कारावास का प्रावधान है।

फतेहगढ़ पुलिस

प्रेस नोट – थाना जहानगंज

दिनांक :- 03.10.2024

थाना जहानगंज पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 188/24 धारा 351(3)/131/352/109(1) बीएनएस व 3/25 आर्म्स एक्ट में वांछित 02 अभियुक्तगण को 01 अदद देशी तमंचा व 01 खोखा कारतूस व 01 जिन्दा कारतूस 315 बोर नाजायज सहित किया गिरफ्तार।

श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक कानपुर जोन कानपुर श्री आलोक सिंह के निर्देशन, श्रीमान पुलिस उपमहानिरीक्षक कानपुर रेंज कानपुर श्री जोगेन्द्र कुमार के कुशल पर्यवेक्षण, **श्रीमान पुलिस अधीक्षक फतेहगढ़ श्री आलोक प्रियदर्शी** के मार्गदर्शन, श्रीमान अपर पुलिस अधीक्षक डा0 संजय सिंह व क्षेत्राधिकारी मोहम्मदाबाद श्री अरुण कुमार के नेतृत्व में थाना जहानगंज पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 188/24 धारा 351(3)/131/352/109(1) बीएनएस में वांछित अभियुक्तगण 1.कुलदीप पुत्र धनपाल, 2.बेला प्रताप उर्फ मुन्ना पुत्र धनपाल निवासीगण ग्राम कन्तला थाना जहानगंज जनपद फतेहगढ़ को आज दिनांक- 03.10.2024 को कन्तला तिराहे थाना जहानगंज के पास से गिरफ्तार किया गया। अभि0 बेला प्रताप उर्फ मुन्ना उपरोक्त की निशादेही पर उसके खेत से 01 अदद तमंचा व 01 खोखा कारतूस व 01 जिन्दा कारतूस 315 बोर नाजायज बरामद किया गया। बरामदगी के आधार पर धारा 3/25 आर्म्स एक्ट की बढोत्तरी कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता:-

1.कुलदीप पुत्र धनपाल निवासी ग्राम कन्तला थाना जहानगंज जनपद फतेहगढ़ ।
2.बेला प्रताप उर्फ मुन्ना पुत्र धनपाल निवासी ग्राम कन्तला थाना जहानगंज जनपद फतेहगढ़ ।

घटना का विवरण:- दिनांक 30.09.2024 को वादी श्री सुरेन्द्र सिंह पुत्र रामप्रकाश निवासी गडाखेडा थाना जहानगंज जनपद फर्रुखाबाद (ग्राम सितौली प्रधान पति) द्वारा थाना हाजा पर लिखित प्रार्थना दिया कि दिनांक 30.09.2024 को समय करीब सुबह 8 बजे ग्राम कन्तला में चकरोड पर मनरेगा मजदूरों से मिट्टी का कार्य कराया जा रहा था तभी ग्राम कन्तला के कुलदीप व बेला प्रताप उर्फ मुन्ना पुत्रगण धनपाल निवासीगण ग्राम कन्तला थाना जहानगंज जनपद फतेहगढ़ द्वारा गाली गलौज देते हुए मारपीट पर आमदा तथा बेला प्रताप उर्फ मुन्ना द्वारा जान से मारने की नियत से फायर करना तथा जान से मारने की धमकी देने के सम्बन्ध में थाना हाजा पर मु0अ0सं0 188/24 धारा 351(3)/131/352/109(1) बीएनएस पंजीकृत किया गया । विवेचना के क्रम में आज दिनांक 03.10.2024 को वांछित अभियुक्तगण 1.कुलदीप पुत्र धनपाल, 2.बेला प्रताप उर्फ मुन्ना पुत्र धनपाल निवासीगण ग्राम कन्तला थाना जहानगंज जनपद फतेहगढ़ को आज दिनांक- 03.10.2024 को कन्तला तिराहे, थाना जहानगंज के पास से गिरफ्तार किया गया । अभि0 बेला प्रताप उर्फ मुन्ना उपरोक्त की निशादेही पर उसके खेत से 01 अदद देशी तमंचा व 01 खोखा कारतूस व 01 जिन्दा कारतूस 315 बोर नाजायज बरामद किया गया । बरामदगी के आधार पर धारा 3/25 आर्म्स एक्ट की बढोत्तरी कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है ।

पूछताछ का विवरण:- पूछताछ के दौरान अभियुक्तगण ने बताया कि दिनांक 30.09.2024 को समय करीब प्रातः 08.00 बजे हमारे गांव में रास्ता बनाने का काम चल रहा था, जिसमें सितौली ग्राम प्रधान पति सुरेन्द्र सिह पुत्र रामप्रकाश नि0 ग्राम गडाखेडा, ग्राम कन्तला वाले मार्ग पर मनरेगा मजदूरो से मिट्टी डलवाने का काम कर रहे थे । हमने अपने खेतो से मिट्टी उठाने से मना किया था ।, हमने ग्राम प्रधान से कहा कि हम अपने खेतो से मिट्टी नही उठने देगे तो इस बात पर प्रधान हमसे बहस करने लगा तथा ललकारने लगा तो इस बात पर गुस्से मे आकर बेला प्रताप उर्फ मुन्ना ने प्रधान सुरेन्द्र सिंह के उपर तंमचे से सीधा फायर कर दिया और हम दोनो भाई वहां से भाग निकले । रास्ते में बेला प्रताप ने भागते समय तमंचा व कारतूस को अपने धान के खेत में कोने मे फेक दिया था । जिसे आज हमने आपको बरामद करा दिया है ।

अभियुक्त कुलदीप का आपराधिक इतिहास –

1. मु0अ0सं0 188/24 धारा 351(3)/131/352/109(1) बीएनएस थाना जहानगंज जनपद फतेहगढ़ ।
2. अन्य थानाजात से जानकारी की जा रही है ।

अभियुक्त बेला प्रताप उर्फ मुन्ना का आपराधिक इतिहास –

1. मु0अ0सं0 162/23 धारा 9/25 आर्म्स एक्ट थाना कादरीगेट जनपद फतेहगढ़ ।
2. मु0अ0सं0 188/24 धारा 351(3)/131/352/109(1) बीएनएस व 3/25 आर्म्स एक्ट जहानगंज जनपद फतेहगढ़ ।
3. अन्य थानाजात से जानकारी की जा रही है ।

बरामदगी का विवरण :-

1. 01 अदद देशी तमंचा व 01 खोखा कारतूस व 01 जिन्दा कारतूस 315 बोर।

गिरफ्तार/बरामद करने वाली थाना जहानगंज पुलिस टीमः-

1. थानाध्यक्ष श्री जितेन्द्र पटेल
2. उ0नि0 श्री अच्छेलाल पाल (चौकी प्रभारी राजपूताना)
3. हे0का0 सुनील कुमार
4. का0 आशीष वर्मा
5. का0 सोनू

मीडिया सेल फतेहगढ़